

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनांक 25-02-2015 को प्रा.ख. लो.नि.वि. कर्णप्रयाग (एजेन्सी का नाम) के द्वारा जनपद चमोली के अर्न्तगत विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में सिमली शैलेश्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण / प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग और से श्री राजेश्वरी अनुभाग अधिकारी राजस्व विभाग की ओर से सुभाष सिंह नेगी राउप निरीक्षक प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री मकान लाल कनिष्ठ अभियन्ता / श्री मनवर सिंह चौहान अमीन अन्य दावेदारों की ओर से श्री विगत प्रताप के द्वारा तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्री अती इतीता देवी, सुभाष देवी के द्वारा प्रसन्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल / समरेखण के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों / समरेखणों के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता परिस्थिति आवश्यकता आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखण / स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 1535 (मी.) नाप भूमि से 715 (मी.) सिविल भूमि, 1200 (मी.) वन पंचायत से नहीं (मी.) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण / स्थल के घन्यन में कुल 1.075 है. नाप भूमि 0.500 है. सिविल भूमि, 0.840 है. वन पंचायत भूमि शून्य है. आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल एवं है. मकडिस्पोजल भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखण पर / चुने गये स्थल पर लगभग वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से - शून्य - वृक्ष बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे। इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें ¹⁵⁰⁰ (मी.) नाप भूमि से ⁷⁵⁰ (मी.) सिविल भूमि से ¹⁷⁵⁰ (मी.) वन पंचायत से शून्य (मी.) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण / स्थल के घन्यन में कुल है. नाप भूमि शून्य है. सिविल भूमि शून्य है. वन पंचायत भूमि शून्य है. आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें कुल ¹⁷⁵⁰ है. भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी इस समरेखण पर / चुने गये स्थल पर लगभग ²⁰⁰ वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से - वृक्ष बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल / समरेखण आरक्षित वन शून्य कक्षाओं से गुजरगा / मै स्थित है। इन कक्षाओं की वर्तमान वन आच्छादन शून्य है एवं इन कक्षाओं में शून्य प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि शून्य पर शून्य प्रजाति के वन है एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर शून्य प्रजाति के वन है, जिसका वर्तमान वन आच्छादन शून्य है। चुने गये समरेखण का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान है तथा स्थल से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल है जिसका GPS मान है।

चुने गये समरेखण / स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान है।

चयनित समरेखण में कुल 134 पौधों को अन्य स्थानांतरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित उपयुक्त स्थल / समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा है / नहीं है।

चयनित उपयुक्त स्थल / समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा / नहीं होगा।

इस समरेखण पर पुल के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तराण हेतु खसरा नं. में है।

एवं ख.नं. में है। भूमि स्थल उपयुक्त पाये गये है, जिनका GPS मान है।

अन्य आवश्यक विवरण सूचना पुर्ण निर्माण न्यूनतम सिविल भूमि ली गई है, इस प्रस्तावित वन क्षेत्र में 134 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, तथा निर्माण के समय उत्पार्जित मलबे का निस्तारण पुनः भूमि निर्माण के समय उपयोग किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(वन विभाग)
प्रतिनिधि

हस्तक्षर
(राजस्व विभाग)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(अन्य दावेदार)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(जन प्रतिनिधि)
प्रतिनिधि

नोट:- इस रिपोर्ट पर भूवैज्ञानिक की राय भी प्रस्ताव बनाने से पूर्व में ही प्राप्त कर ली जाये।

वन क्षेत्राधिकारी

सुखं क्षोभान्निवर्तयति

बनटगाड रू. २५०/-
हजारीबाग जिला नथेनी.

प्रभागीय वनाधिकारी
अलकनन्दा प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर

14

हस्ताक्षर अनुभादेवी
दिनांक 02/03/2015